बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका स०–17 / विविध1–236 / 2022 / स्वा०, विभागीय आदेश सख्या– 952(17) दिनांक–09.10.2024 द्वारा राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को प्राधिकृत किया गया है।

2. प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना द्वारा अपने प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं चिकित्सीय दायित्वों की अत्यधिक व्यस्तता के कारण उक्त फार्मेसी सस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करने हेतु किये गये अनुरोध के आलोक मे राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना के सभी कर्मियो के वेतन निकासी के साथ–साथ संस्थान के अन्य सभी वित्तीय कार्यो के निष्पादन हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–9262 / वि० दिनांक–01.10.2011 के द्वारा अधिसूचित बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–84 के अन्तर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व डा० सतेन्दु सागर, सह–प्राध्यापक, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को प्रदान करते हुए प्राधिकृत किया जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–सयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–17 / विविध 1–236 / 2022– 1379/17 पटना, दिनांक :– 15/10 /2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा० सतेन्दु सागर, सह–प्राध्यापक, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। साथ ही निदेशित है कि सबंधित से प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी–प्रशाखा 01, 07A, 07B, 08 एव 10 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई० टी० मैनेजर / प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–संयुक्त सचिव।